दिनांक 16, 22 एवं 24 मई, 2017 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 428, 483, 577/110/तीन/97–VII दिनांक 12,17 एवं 22–मई, 2017, द्वारा निर्गत पत्रों के माध्यम से तीन चरणों– दि0 16, 22 एवं 24 मई,2017 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ सूडा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की तथा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM))

बैठक का शुभारम्भ करते हुए परियोजना अधिकारियों को मिशन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में की गई उपलब्धि के आधार पर दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक SM&ID के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु लक्ष्यों की शहरवार समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि SHG गठन में आयोजित बैठक में 29 शहरों यथा **सम्भल, चन्दौसी, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बिजनौर, खुर्जा–बुलन्दशहर, गोण्डा, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, शामली, भिन्गा– श्रावास्ती, सुल्तानपुर, दादरी– जी0बी0 नगर, फैजाबाद, देवरिया, अकबरपुर– अम्बेडकर नगर, एटा, सीतापुर, बड़ौत– बागपत, उन्नाव, गाजीपुर एवं पड़रौना–कुशीनगर** में ही लक्ष्य पूर्ण किया गया है। 36 शहरों की प्रगति 50% से 95% तक है। शेष निम्नलिखित 17 शहरों के SHG गठन का कार्य सन्तोषजनक नही होने पर गहरी असन्तोष व्यक्त किया गयाः–

क्रम सं0	जिले का नाम	शहर का नाम	समूह गठित करने हेतु लक्ष्य	गठित किये गए समूहों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति का (%)
1	Kannauj	Kannauj	50	3	6.00
2	Kasganj	Kasganj	50	9	18.00
3	Hapur	Hapur	95	20	21.05
4	Allahabad	Allahabad	425	99	23.29
5	Hardoi	Hardoi	70	18	25.71
6	Jalaun	Orai	70	20	28.57
7	Lucknow	Lucknow	1030	304	29.51
8	Kanpur Dehat	Akbarpur	50	15	30.00
9	Mau	Mau	100	33	33.00
10	Bhadohi	Gayanpur	50	18	36.00
11	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	1015	404	39.80
12	Siddharth Nagar	Siddharth Nagar	50	20	40.00
13	Chandauli	Chandauli	50	22	44.00
14	Shahjahanpur	Shahjahanpur	120	54	45.00
15	Aligarh	Aligarh	320	150	46.88
16	Saharanpur	Saharanpur	250	119	47.60
17	Ghaziabad	Ghaziabad	600	287	47.83

SHG गठन की उक्त शहरों की सघन समीक्षा की गयी, प्रगति अपेक्षा के अनुरूप न पाये जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया तथा कड़े निर्देश दिये गये कि CMMU डूडा द्वारा सन्दर्भ संस्थाओं के साथ साप्ताहिक समीक्षा एवं दैनिक समन्वयन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रारम्भ से ही सुचारु रुप से रणनीति निर्धारण कर तेजी से कार्य करके प्रत्येक दशा में आवंटित अनन्तिम लक्ष्यों के सापेक्ष तदनुसार प्रत्येक माह प्रगति की जाय।

SM&ID घटक के अन्तर्गत SHG को RF के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि की समीक्षा में पाया गया कि **बलरामपुर, बॉदा, बस्ती, खुर्जा, बुलन्दशहर, चन्दौली, मुगलसराय, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हापुड़, हरदोई, रामपुर, बलिया एवं शाहजहॉपुर** शहरों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में गठित स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नही किया गया है, जबकि सभी शहरों में विगत वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में गठित किये गये कतिपय SHG, RF हेतु अर्ह होगें। RF अवमुक्त नहीं किये जाने की स्थित पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार सभी क्रियाशील एस0एच0जी0 को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि विगत में आयोजित समीक्षा बैठक में भारत सरकार द्वारा RF अवमुक्त किये जाने की धीमी गति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी शहर में इस घटक SM&ID के अन्तर्गत शहर/जिला स्तर पर फण्ड नही है तो तत्काल डिमांड एस0एम0एम0यू0 सूडा को उपलब्ध कराकर धनराशि अवमुक्त करा ली जाय तथा सभी 03 माह के क्रियाशील SHG को तत्काल RF अवमुक्त किया जाय।

समीक्षा में पाया गया कि 42 शहरों यथा **वाराणसी, इलाहाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मुज्जफरनगर, शाहजहॉपुर, मऊ, फर्रुखाबाद, हापुड़, इटावा, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, रायबरेली, जालौन– उरई, जौनपुर, उन्नाव, सीतापुर, बांदा, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद– मोदीनगर, देवरिया, बुलन्दशहर– खुर्जा, गाजीपुर, बस्ती, चन्दौली– मुगलसराय, फिरोजाबाद– शिकोहाबाद, बलिया, कासगंज, कन्नौज, बाराबंकी– नवाबगंज, अम्बेडकर नगर– अकबरपुर, कानपुर देहात– अकबरपुर, औरैया, श्रावस्ती– भिन्गा, चन्दौली, भदोही– ज्ञानपुर, कौशाम्बी– मंझनपुर, चित्रकूट, कुशीनगर– पड़रौना एवं सन्तकबीर नगर– खलीलाबाद** में SHG गठित होने के उपरान्त भी अभी तक क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स (ALF) का गठन नही किया गया है जिसको गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए अपनी प्रगति सुधारे अन्यथा उनके एवं शहरों हेतु नामित सन्दर्भ संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों के आयोजन में भी 19 शहरों यथा **अलीगढ़, फिरोजाबाद, हमीरपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, बांदा, चन्दौली, सीतापुर, भदोही, गाजीपुर, हरदोई, कन्नौज, शाहजहॉपुर, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, पड़रौना–कुशीनगर, एवं सिद्धार्थनगर** की प्रगति शून्य पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तथा निर्देशित किया गया कि सभी परियोजना अधिकारी घटक के अन्तर्गत आवंटित सभी लक्ष्यों/गतिविधियों की साप्ताहिक सघन समीक्षा कर लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित कराये। FLC के आयोजन में RBI के निर्देशों के क्रम में लीड बैंक से सहयोग लेकर तत्काल लक्ष्य पूर्ण करे तथा प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत NULM लाभार्थियों के बैंकों में खाता खुलवाकर रिपोर्ट करें इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइन्नेंस का लाभ भी इस घटक एवं DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित करें क्योंकि इन सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप के माध्यम से प्रत्येक माह की जाती है जिसमें अधिकांश शहरों से इन गतिविधियों में शून्य प्रगति परिलक्षित होने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा कड़ी नाराजगी

व्यक्त की गई है जिसे गम्भीरता से लेकर तत्काल प्रगति वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही सुधारने के कड़े निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति पर भी असन्तोष व्यक्त करते हुए सभी PO's को संवेदित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनने में संचालन संस्था के साथ–साथ PO की अहम भूमिका है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि सभी PO's जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 के अनुक्रम में विभिन्न विभागों से समन्वयन CLC को कार्य दिलाकर शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य करें। CLC को नगरीय निकायों से भी आउटसोर्स वाले कार्य दिलाये। मुख्य रुप से लोकवाणी केन्द्रों के संचालन का कार्य भी जनपद/शहर स्तर पर CLC के माध्यम से संचालित किये जाने के प्रयास किये जाये।

समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश शहरों द्वारा CLC की नियमित मासिक आख्या प्रेषित नही की जा रही है जिसे गम्भीरता से लेते हुए नियमित मासिक आख्या SMMU सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिये गये।

आगरा, मेरठ, कन्नौज, शाहजहॉपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लोनी, अम्बेडकरनगर, बस्ती एवं सुल्तानपुर में CLC स्वीकृत के लगभग एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन के कड़े निर्देश दिये गये। उक्त के साथ ही निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने की रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये तथा **"मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृष्टिगत 100 दिवसों में घटक के सभी गतिविधियों में तदानुसार लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय।"**
2. निर्देश दिये गये कि सभी सन्दर्भ संस्थाओं से शहरों को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर विकेन्द्रीकृत रणनीति के आधार पर CRP के माध्यम से प्रत्येक दशा में लक्ष्यों को पूर्ण किया जाय। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि फरवरी माह से भारत सरकार द्वारा निर्धारित MPR प्रारुप में शहरों में कार्यरत CRP की संख्या तथा बुक कीपर्स की संस्था का उल्लेख भी किया जाना अपरिहार्य कर दिया गया जिसके दृष्टिगत आवश्यक है सभी शहरों में मानकों के अनुसार CRP एवं बुक कीपर्स के आकड़े तत्काल सन्दर्भ संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय। कतिपय शहरों से मार्च, 2017 के रिर्पोट में कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) तथा बुक कीपर्स (BK) की संख्या शून्य पाये जाने पर गहरी अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
3. समूहों के बैंक में खाते खोलने में आ रही समस्याओं को जिला स्तर पर होने वाली जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक में रखा जाये तथा प्रयास यह किया जाये कि उक्त बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के समक्ष समस्याओं का समाधान कराया जाये विशेष परिस्थितियों में समस्या का समाधान न होने की स्थिति में उक्त समस्या को कार्यवृत्त में अभिलेखीकृत किये जाने पर बल दिया जाये जिससे उक्त कार्यवृत्त को संज्ञान में लेते हुए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चर्चा कर समस्या का समाधान कराया जा सके। उक्त के साथ ही ब्रांच एवं वैलकम खाता खोलने के लम्बित प्रकरण का विवरण SMMU सूडा उ0प्र0 को भी उपलब्ध कराया जाय जिससे समस्या समाधान हेतु SLBC के माध्यम से संबंधित ब्रांचो/बैंको को निर्देशित कराया जा सके।
4. बैंक लिंकेज में आ रही समस्याओं के निदान हेतु जिला स्तर पर लीड बैंक के सहयोग से डी0एम0 की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में आ रही समस्या विशेष एवं बैंक

विशेष के सम्बन्ध में चर्चा कर समस्या का समाधान कराया जाये एवं विशेष परिस्थितियों में विस्तृत विवरण एवं बैंक विशेष से आ रही समस्याओं का उल्लेख करते हुए बैक एवं ब्रान्चवार समस्याओं के समाधान हेतु प्रकरण एस0एम0एम0यू0 सूडा को भी संदर्भित किया जाये ताकि राज्य स्तर पर एस0एल0बी0सी0 की बैठक में उक्त समस्या रखते हुए समस्या समाधान की दिशा में कार्यवाही करायी जा सके।

5. जिन स्वयं सहायता समूहों की क्रियाशीलता 3 माह की पूर्ण हो गयी हो तथा समूह पंचसूत्र की अवधारणा पर कार्य कर रहे हों उन्हें तत्काल रिवाल्विंग फण्ड निर्गत कर दिया जाये।
6. इम्पैनल्ड संस्थाओं को अनुबन्ध के अनुसार सूडा द्वारा निर्गत पत्र संख्या–966/241/NULM/तीन/2001(SM&ID)–II दिनांक 22.12.2016 के अनुक्रम में बिना विलम्ब के तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।
7. स्वयं सहायता समूहों हेतु आवश्यक है कि नियमित साप्ताहिक बैठक का आयोजन कराया जाये तथा समूह में आपसी लेन–देन की आदत का विधिवत विकास किया जाये तथा समूहों को स्वावलम्बन एवं आर्थिक विकास हेतु नियमित प्रेरित किया जाये।
8. इस घटक की MIS पर प्रगति असन्तोषजनक पाये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि CMM द्वारा MIS पर शत–प्रतिशत प्रगति अपलोड की जाय इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी तथा CMM का किये जाने वाले अप्रैजल में MIS की प्रगति का आधार भी सम्मिलित किष जायेगा। उक्त के साथ ही कड़े निर्देश दिये गये कि रिपोर्टेड सभी स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के विवरण एम0आई0एस0 पर अपलोड हेतु सी0एम0एम0यू0, डूडा सन्दर्भ संस्थाओं से सभी सदस्यों के सम्पूर्ण विवरण एक्सेल शीट में तत्काल प्राप्त कर अपलोड करें यदि किसी सन्दर्भ संस्था द्वारा ससमय विवरण नही उपलब्ध कराया जा रहा है तो त्वरित नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
9. प्रत्येक सप्ताह एस0एम0एम0यू0 सूडा द्वारा शहरों से वार्ता कर प्रगति समीक्षा की जाय तथा उन शहरों में जहॉ राज्य स्तरीय औसत प्रगति से कम प्रगति है पर विशेष ध्यान देकर लक्ष्य पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जाय तथा उक्त कार्यवाही की प्रगति पत्रावली पर प्रस्तुत की जायेगी।

EST&P- दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों को निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया:–

1. इटावा, रायबरेली, रार्बटसगंज (सोनभद्र), ज्ञानपुर (भदोही), औरैया, कासगंज, खुर्जा (बुलन्दशहर), मुज्जफरनगर, अमरोहा, मंझनपुर (कौशाम्बी), दादरी (जी0बी0 नगर), रामपुर, शामली, खलीलाबाद (सन्त कबीर नगर), भिन्गा (श्रावस्ती), देवरिया, हरदोई, बलिया, बस्ती, चन्दौली, फिरोजाबाद, मुगलसराय (चन्दौली), आजमगढ़, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं सिद्धार्थ नगर को सख्त निर्देश दिये गये कि एम0आई0एस0 पर अपलोड प्रमाण पत्रों के सापेक्ष अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन को प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए एम0आई0एस0 पर अपलोड किया जाये।
2. प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन हेतु रोजगार उत्सव/सेवायोजन मेलों का आयोजन किया जाये।

3. असेसिंग बाडीज को लंबित भुगतान को अतिशीघ्र जारी किया जाये एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये बिलों को समय से जारी किया जाये।

4. सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि RDAT कानुपर से प्राप्त प्रमाण पत्रों को दो दिवस के अन्दर अनिवार्य रुप से एम0आई0एस0 पर अपलोड किया जाय।

SEP – दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत सभी शहरों द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह में ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। SEP(I) के अन्तर्गत भौतिक तथा एम0आई0एस0 की प्रगति लगभग सभी जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष सन्तोषजनक पायी गयी है। अपितु SEP(I) के अन्तर्गत भौतिक प्रगति **अलीगढ़, दादरी– जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर, झांसी, शिकोहाबाद– फिरोजाबाद एवं वाराणसी** जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति नही की गयी है, जिसके दृष्टिगत निदेशक महोदय द्वारा कड़ी आलोचना व्यक्त की गयी है तथा 15 दिन के अन्दर लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही साथ SEP(I) के अन्तर्गत एम0आई0एस0 पर अलीगढ़, रामपुर, दादरी– जी0बी0 नगर एवं लोनी– गाजियाबाद जनपदों को तत्काल प्रभाव से एम0आई0एस0 पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद पड़रौना– कुशीनगर की एम0आई0एस0 पर प्रगति अत्यन्त ही खराब स्थिति होने के कारण कड़ी अवेहलना व्यक्त की गई है तथा तत्काल रुप से इसकों पूर्ण करने के लिए निर्देश दिये गये है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी।

SEP(G) के अन्तर्गत **रायबरेली, कानपुर नगर, अमरोहा, हापुड़, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बहराइच, वाराणसी, हरदोई, शाहजहॉपुर, फिरोजाबाद एवं लखनऊ** जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति असन्तोषजनक है जबकि **अलीगढ़, बाराबंकी, ज्ञानपुर– भदोही, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, हाथरस, अकबरपुर– कानपुर देहात, कासगंज, सुलतानपुर, बागपत, बड़ौत, गाजियाबाद, लोनी, मोदीनगर, मंझनपुर– कौशाम्बी, महोबा, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, प्रतापगढ़, रामपुर, आगरा, अकबरपुर– अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, चन्दौली, मुगलसराय, देवरिया, एटा, शिकोहाबाद– फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, पीलीभीत, खलीलाबाद– सन्तकबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर)** जनपदों द्वारा स्टेट मिशन द्वारा प्राप्त लक्ष्य के विपरीत शून्य लक्ष्य प्राप्त किया गया है। सभी जनपदों को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में भौतिक एवं एम0आई0एस0 प्रगति हेतु लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कराये।

SUH- (1) जिन शेल्टर्स में कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो गये है उसकी पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित नगरीय निकाय को हस्तगत कराया जाय और उसको कार्यशील किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) पूर्ण किये गये शेल्टर्स की अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर प्रस्तुत किया जाय।

(3) शेल्टर्स को क्रियाशील करने के लिए शेल्टर प्रबन्धन समिति का शीघ्र गठन कराया जाय तथा अनुरक्षण और प्रबन्धन हेतु धनराशि को अवमुक्त करने के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजा जाय।

SUSV- (1) अलीगढ़ से सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान का एक प्रारुप प्राप्त हुआ था, जिसमें इंगित कमियों को दूर करते हुए अधिनियम 2014, स्कीम और ऑपरेशनल गाइडलाइनस के तहत अपेक्षित संशोधन करते हुए वेडिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था किन्तु अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नही प्राप्त हुई। सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार करते समय उसके मॉडल ड्राफ्ट को भी ध्यान में रखा जाय।

(2) उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 दिनांक 10.05.2017 को जारी की जा चुकी है। उसके प्राविधानों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन में तदनुसार अपेक्षित सदस्यों को सम्मिलित किया जाय।

शहरों से प्राप्त भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति अपेक्षा के अनरुप नही पाये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय। कतिपय शहरों यथा आगरा, बदायूँ, फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, कासगंज, दादरी, हापुड़, मेरठ, लखनऊ में एन0यू0एल0एम0 के विभिन्न घटकों मार्च 31 को धनराशि की उपलब्धता परिलक्षित होने के दृष्टिगत कड़े निर्देश दिये गये कि शहरों द्वारा लम्बित भुगतानों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय अथवा भुगतान करने की आवश्यकता न होने पर तत्काल शहर स्तर पर उपलब्ध धनराशि सूडा उ0प्र0 को वापस की जाए।

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि 30 जून, 2017 तक प्रत्येक दशा में सभी परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जायें एवं जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो गये हैं, वहां पर तत्काल आवासों का आवंटन भी कर दिया जाये।
- परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बीएसयूपी /आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत आवासों को पूर्ण कराते हुये प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की यूसी तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद– इटावा,फैजाबाद,मिर्जापुर, फरूर्खाबाद, कानपुर देहात, औरैया, बरेली, कन्नौज,सीतापुर तथा बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद– मथुरा, आगरा, लखनऊ परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि पूर्ण हो चुके आवासों का आवंटन एक सप्ताह में सुनिश्चित किया जाये।
- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत बहराइच, हरदोई, उन्नाव, चन्दौली, रायबरेली,अलीगढ़, तथा अन्य सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में जून, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो जनपद स्तरीय कमेटी की अनुमति लेकर धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(कार्यवाही–सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में कुल स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रगति में तेजी लाते हुए शीघ्र द्वितीय किश्त के प्रस्ताव एवं यू0सी0 प्रस्तुत किये जाय ताकि शासन से ससमय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करायी जा सके।

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारंम्भ न किया जाये। अवस्थापना सुविधा की लम्बित डी0पी0आर0 पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- यदि किसी स्वीकृत परियोजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि तत्काल मुख्यालय को वापस कर दें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

ई–रिक्शा योजना

1. मोटर–बैटरी चालित ई–रिक्शा योजनान्तर्गत सूडा मुख्यालय स्तर से ई–रिक्शा वाहन पंजीकरण एवं थर्ड पार्टी बीमा हेतु जनपदों को अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अथवा अवशेष पड़ी धनराशि तत्काल वापस किए जाने हेतु पूर्व निर्गत आदेशों के बाद भी अनेक जनपदों से अपेक्षित सूचना अप्राप्त है – निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित जनपद एक सप्ताह में कृत कार्यवाही करें।
2. जनपदों में ई–रिक्शा वितरण के पश्चात अभिकरण मुख्यालय से पूर्व प्रेषित प्रारूप के सापेक्ष जनपदों से निर्गत प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति तत्काल मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

ऊषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों– बहराइच, इटावा, हमीरपुर, कासगंज, ललितपुर मऊ, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, श्रावस्ती को निर्देशित किया गया कि इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें एवं अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद– औरैया, बागपत, कुशीनगर, ललितपुर, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती के पास

धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे एक सप्ताह में मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप ''क'' एवं ''ख'' पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ/उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा)**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास

1. मै0 स्टेसलिट सिस्टम्स लि0: के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 124 नगर निकायों में वैलीडेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें से 90 नगर निकायों का डाटा सूडा को उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि स्टेसलिट सिस्टम्स लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये 90 निकायों में से 50 निकायों की डी0पी0आर0 तैयार कर दी गयी है, जिनको परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षरोपरान्त सूडा मुख्यालय प्रेषित की जानी हैं। सभी 44 निकायों की डी0पी0आर0 जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक दशा में दिनांक 20.05.2017 तक सूडा मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। कन्सलटेन्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा में कुछ यू0एल0बी0 में बी0एल0सी0 घटक में 50 से भी कम लाभार्थी पाये। ऐसी यू0एल0बी0 जिनमें 50 से कम लाभार्थी पाये गये है, उनमें एक बार पुनः जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कन्सल्टेन्ट द्वारा परियोजना अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में न लेते हुए निकायों में वैलीडेशन का कार्य कराया जा रहा है। इस पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया तथा जनपद स्तर पर परियोजना अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। कन्सलटेन्ट के जिला समन्वयक (District Co-ordinator) प्रतिदिन परियोजना अधिकारी को अपने कार्य–कलापों से अवगत करायेंगे और समय–समय पर परियोजना अधिकारी के साथ बैठक करेगें। कन्सलटेन्ट को प्रत्येक जिले में अपना जनपदीय कार्यालय स्थापित करने हेतु भी निर्देशित किया गया। सभी परियोजना अधिकारियों को कन्सलटेन्ट से सहयोग लेने, अधिशासी अधिकारी एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक कराने तथा सहयोग न करने की दशा में सूडा मुख्यालय को अवगत कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

2. मै0 विजन ई.आई.एस. कन्सलटिंग प्रा0लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल आवंटित 89 नगर निकायों में 35 नगर निकायों में सभी कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 24 नगर निकायों में डाटा एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। जून 2017 तक एचएफए–पीओए तैयार कर उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिन नगर निकायों में कैम्प नहीं लग पाया है, उनमें भी शीघ्र ही कैम्प लगाकर वैलीडेशन का कार्य पूर्ण कर

दिया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर की नगर निकाय शाहपुर एवं जानसठ में वैलीडेशन के पश्चात् भी 33 लाभार्थियों के नाम कटे है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैलीडेशन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इस पर कन्सलटेन्ट द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 95 प्रतिशत वैलीडेशन सही है, 5 प्रतिशत में अन्तर आ सकता है।

रूद्राभिषेक कन्सलटिंग प्रा0 लि0 संस्था के अन्तर्गत जनपदों की समीक्षा के समय परियोजना अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि जिला समन्वयक द्वारा उनसे कोई सम्पर्क नहीं किया गया, जिस पर कन्सलटेन्ट को परियोजना अधिकारी, डूडा एवं अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय के साथ समन्वय कर सर्वे कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि वर्तमान जन प्रतिनिधि द्वारा कुछ पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल करने के लिए कहा जाता है तो उसे भी शामिल कर लें। यदि कन्सलटेन्ट नहीं आते या बात नहीं करते, तो परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा उनसे दूरभाष पर बात कर ली जाये। परियोजना अधिकारी, डूडा भी अपने स्तर से कार्य की मॉनिटरिंग कर लें। निर्देशित किया गया कि यदि कन्सलटेन्ट परियोजना अधिकारी, डूडा एवं अधिशासी अधिकारी से समन्वय किये बिना क्षेत्र में कार्य करेगें, तो बेहतर होगा कि कार्य छोड़ दें। परियोजना अधिकारी जो डी.पी.आर. बनी है, उसकी सूची लेकर मिलान करा लें तथा जिलाधिकारी के साथ बैठक करा लें।

परियोजना अधिकारी, डूडा प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि कन्सलटेन्ट को पत्र प्रेषित किया गया था कि उनके द्वारा कब–कब कैम्प लगाये जायेंगे तथा सत्यापन कब कराया जायेगा, परन्तु उनके द्वारा अभी तक पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस पर कन्सलटेन्ट को परियोजना अधिकारी, डूडा प्रतापगढ़ द्वारा मांगी गयी सूचना से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना अधिकारी, डूडा फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कन्सलटेन्ट की जिलाधिकारी एवं परियोजना निदेशक के साथ बैठक करायी गयी, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जहाँ–जहाँ का सर्वे किया है, उसका विवरण माँगा गया था, परन्तु कन्सलटेन्ट द्वारा अभी तक उक्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी द्वारा माँगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध करायें तथा क्षेत्र में कार्य करने जाने से पूर्व परियोजना अधिकारी, डूडा को अवश्य सूचित करें या मिलकर बता दें। परियोजना अधिकारी, डूडा के साथ सम्पर्क बतायें रखे क्योंकि डी0पी0आर0 पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर परियोजना अधिकारी द्वारा ही कराये जायेगें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी की ओर टीम बनवायी जाये, जिसकी देखरेख में कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य पूर्ण किया जाये, इससे जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने में विलम्ब नहीं होगा। सर्वे कार्य हेतु 8वीं/9वी पास व्यक्ति ना रखने तथा योजना की जानकारी रखने वाले एवं पात्रता की शर्तों के बारे में जानकारी वाले सर्वेयर को रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिले स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्कशॉप कराने हेतु निर्देशित किया गया। वैलीडेशन के पश्चात् सूची चस्पा कर अधिशासी अधिकारी को अवगत करा दें, जिससे अधिशासी अधिकारी एवं तहसील द्वारा जाँच कर ली जाये। सूची चस्पा करने से पूर्व जिलाधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, डूडा को सूचित कर दें। कम से कम नगर निगम में 7 दिन, नगर पालिका में 5 दिन तथा नगर पंचायत में 3 दिन योजना का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसके पश्चात् कैम्प लगाये जायें, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी वैलीडेशन हेतु पहुँच सकें। लाभार्थियों को योजना में बारे में सही जानकारी दें, जिससे सही लाभार्थी ही आवेदन कर सकें। निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी से मिलकर कैम्प की तिथि निर्धारित करवा लें, जिससे प्लान ऑफ एक्शन बन सके तथा कैम्प में नगर निकाय एवं कन्सलटेन्ट का प्रतिनिधि अवश्य हों। जून 2017 तक लगभग 70 प्रतिशत नगर निकायों का प्लान ऑफ एक्शन बनाकर जिला स्तरीय निगरानी समिति से कराकर प्रेषित करने हेतु भी निर्देशित किया गया। वैलीडेशन पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी से निगरानी समिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारित करा लें।

कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में स्वीकृत 32 नगर निकायों की 9401 आवासों की डीपीआर हेतु सभी 32 नगर निकायों के जिला स्तर पर खाते खुलने है,

जिन्हें पीएफएमएस से जोड़ जायेगा। उसके बाद सारे लाभार्थियों के खाते खोलकर आधार से जोड़ा जायेगा, जिससे धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तानान्तरित की जा सकें। आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल एनबीसी मानक के अनुसार ही होना चाहिए।

3. मै0 सरयू बाबू इन्जीनियर्स इन्डिया प्रा0लि0 एवं मै0 सरयू बाबू इन्जीनियर्स रिसोर्स डवलपमेन्टः–सरयू बाबू इन्जीनियर्स के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आगरा की 13 नगर निकायों में से 01 नगर निकाय में ही कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, शेष में कार्य प्रगति पर है। हरदोई की 13 नगर निकायों में 08 नगर निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है। सूची चस्पा होने के पश्चात् कैम्प लगाये जायेगें। सभी नगर निकायों में कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना अधिकारी, डूडा देवरिया द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्प में कन्सलटेन्ट का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जिस पर गहरा रोष व्यक्त किया गया तथा कन्सलटेन्ट को प्रत्येक कैम्प में अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना अधिकारी, डूडा कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कुशीनगर की दो नगर निकायों में कई गाँव शामिल हो गये है। इस पर शामिल होने वाले गाँवों को द्वितीय फेज में लेने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना अधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि कन्सलटेन्ट द्वारा कैम्प लगाये जा रहे हैं। यह भी निर्देशित किया गया कि लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर आदि विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य सही प्रकार से किया जाये, इसमें कोई लापरवाही ना की जायें।

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों– फैजाबाद, कानपुर नगर, बिजनौर, फतेहपुर, महोबा, मेरठ के परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 788 /110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 05/6/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक